भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 161470

(प्रारूप- 'अ') शपथ-पत्र

मैं, _____ आत्मज श्री _____ निवासी _____ हाल पता _____ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करता हूँ:

1. यह कि हमारे द्वारा _____ नामक फर्म की स्थापना सन 2023-24 में किया जाना निर्धारित है।

2. यह कि हमारे ट्रस्ट के पास _____ में कुल संख्या _____ 60 भूमि _____ के गाटा संख्या _____ है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त गाटा पर ट्रस्ट के नाम आवंटित भूमि के गाटा संख्या _____ रकबा _____ 60 पर कार्यालय नाम की डिस्प्लेस लगाकर कार्यालय संचालन की अनुमति किये जाने का निर्णय ट्रस्ट की बैठक दिनांक _____ को लिया गया है।

ATTESTED

Sworn & Verified Before Me.

A. C. PARAJA (Advocate) NOTARY Lucknow (U.P.) INDIA Date.....

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर की प्रस्तावित डिस्पेंसरी कार्मेसी कालेज के संचालन हेतु चलती हुई संस्था अनुमोदित नहीं को अनुमोदित किया गया है।

4. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष आवेदक द्वारा ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह कि इस भूमि तथा इस पर निर्मित भवनों पर कार्मेसी कालेजिएट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिस्पेंसरी कार्मेसी कालेज का ही संचालन किया जायेगा।

5. यह कि इस संस्थान में कार्मेसी कालेजिएट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं आयुर्वेदिक शिक्षा परिषद के मानक पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन किया जायेगा।

6. यह कि जो आवंटित भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मेसी कालेजिएट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं आयुर्वेदिक शिक्षा परिषद चाहते हैं वे मानक मापदण्ड एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में किया गया है और न ही भविष्य में करने दिया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक भवन, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि का कार्मेसी कालेजिएट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं आयुर्वेदिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही मुहैया किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा मात्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः पालन करूँगा। यदि इस संस्थान में किसी भी समय अवैधानिक गतिविधि के सम्बन्धानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो संस्थान की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किया गया निरीक्षण अंतिम माना जायेगा मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई लिखित कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी पारदर्शिता सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कोई कूटरचित पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करते हुए मेरी मान्यता रद्द की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Date.....

सह अभिलेखी

सचिव